

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज.)

क्रमांक :- रीडर/2026/ 60

दिनांक :- 27.08.2026

:- संशोधित आदेश :-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 09/ई.वी./2026 दिनांक 25.08.2026 के द्वारा राजस्थान के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 29.08.2026 (शनिवार) को अवकाश घोषित किये जाने पर, मैं शैला फौजदार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 एवं 13(2) (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 14 व 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करती हूँ कि दिनांक 29.08.2026 (शनिवार) को धौलपुर जिला की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों (जमानत, रिमाण्ड ड्यूटी धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्यों) से संबंधित मामलों की सुनवाई निम्न अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक/रीडर/2026/52 दिनांक 20.07.2026 यथावत रहेगा।

क्र.सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम व मोबाईल नम्बर	पद
1.	29.08.2026	श्री ईशपाल सिंह मो.नं. 9782313102	न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, धौलपुर

नोट:-

- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य हेतु समय 11.00 ए.एम. से 2.00 पी.एम. के लिये न्यायालय में आवश्यक स्टाफ के साथ उपस्थित रहेंगे।
- उक्त रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि से पूर्व कार्यदिवस के कार्यालय समय पश्चात् से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी।
- तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।
- किसी भी अवकाश के अविलम्ब पूर्व अथवा पश्चात् कार्य दिवस का किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने की स्थिति में पूर्व अवकाश के दिन जिस अधिकारी की रिमाण्ड आदि सभी कार्यों की ड्यूटी थी, घोषित अवकाश के दिन वही अधिकारी पूर्व आदेश की निरंतरता में रिमाण्ड आदि सभी कार्यों के लिये अधिकृत होगा।
- नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी ड्यूटी करने में असमर्थ है तो वे किसी अन्य न्यायिक अधिकारी से लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रेषित करेंगे तथा इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करेंगे।

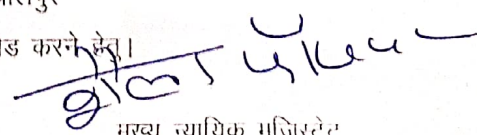

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धौलपुर

क्रमांक: रीडर/2026/ 934-941

दिनांक : 27.08.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :-

- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर।
- श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर।
- श्रीमान् पीठासीन अधिकारीगण, समस्त न्यायालय धौलपुर न्यायक्षेत्र।
- श्री ईशपाल सिंह न्यायिक मजि. संख्या 3, धौलपुर
- जिला पुलिस अधीक्षक/जिला जेल/पुलिस कन्ट्रोल रूम, धौलपुर
- सर्वर रूम, जिला न्यायालय धौलपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धौलपुर।